दिनांक: 04.09.2021

विषय: डबल्यू.टी.ओ सदस्य देशों से एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाओं से निपटने में एपीडा और ईआईसी की सुविधा के लिए व्यक्तियों या फर्मों की नियुक्ति।

इस विषय पर, एपीडा और ईआईसी द्वारा संयुक्त रूप से व्यक्तियों या फर्मों से बोली आमंत्रित की जा रही है। इसका विवरण www.apeda.gov.in पर डब्ल्यूटीओ के घोषणा आइकन के अंतर्गत और समाचार के अंतर्गत ईआईसी वेबसाइट www.eicindia.gov.in पर पर होस्ट किया गया है।

वी.के. विद्यार्थी
महाप्रबंधक, एपीडा, नई दिल्ली
ईमेल : vkvidyarthi@apeda.gov.in
फोन: 91-11-41486016

अंतिम-संदर्भ की शर्तें

सं. क्यूसीटी-2021-22-00009 **04/09/2021**

विषय: डबल्यू.टी.ओ सदस्य देशों से एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाओं से निपटने में एपीडा और ईआईसी की सुविधा के लिए व्यक्तियों या फर्मों की नियुक्ति।

क) भूमिका:

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC), वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संगठन हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को प्रोत्साहित करने के अधिदेश के साथ एक निर्यात संवर्धन निकाय है और ईआईसी का उत्तरदायित्व भारत से निर्यात के लिए उत्पादों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का प्रमाणीकरण करना है।

एपीडा कृषि व्यापार सुविधा में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में सुधार करने का ध्येय रखता है जबकि ईआईसी भारत का प्रमाणन निकाय है जो भारत से निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इस प्रक्रिया में भारतीय कृषि उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण निर्यात में वृद्धि करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और उत्पाद को इष्टतम शैल्फ लाइफ प्राप्त करना शामिल है। इसके लिए स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (एसपीएस), व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के मुद्दों को संबोधित करने की भी आवश्यकता है जिसके कारण वर्तमान में अपर्याप्त बाजार पहुंच और निर्यात में बाधा आ रही है। इसलिए, एपीडा और ईआईसी इन मुद्दों को संबोधित करने में दक्षता बढ़ाने के लिए संयुक्त

रूप से उन व्यक्तियों या फर्मों को नियुक्त करना चाहते हैं जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों द्वारा एसपीएस/टीबीटी अधिसूचनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए सलाहकार के रूप में और राष्ट्रीय व्यापार के हित में एपीडा/ईआईसी को उचित सलाह दें।

इस संबंध में उन पंजीकृत व्यक्तियों या फर्मों से आवेदनों का आमंत्रण किया जा रहा है जिन्हें डब्ल्यूटीओ,एसपीएस- टीबीटी और संबंद्ध विषयों से संबंधित न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो।

आवेदन को सीलबंद लिफाफे में इस विज्ञापन के प्रदर्शित होने के 21 दिनों के भीतर शाम 5 बजे तक उपरोक्त पते पर महाप्रबंधक (डब्ल्यूटीओ) को भेजा जाए। पात्रता मानदण्ड को हमारी वेबसाइट www.apeda.gov.in के अंतर्गत घोषणाएं शीर्ष और www.eicindia.gov.in पर उपलब्ध है।

ख) संदर्भ की शर्तें (टीओआर)

1. विश्व व्यापार संगठन की वेबसाइट से सभी एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाएं दैनिक आधार पर डाउनलोड करें और उन एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाओं की पहचान करें जिनसे भारतीय निर्यात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है;
2. संबंधित मंत्रालय, कमोडिटी बोर्ड, निर्यात संवर्धन परिषदों, और उद्योग निकाय / संघों या किसी अन्य प्रासंगिक संगठनों सहित सभी घरेलू हितधारकों के लिए निर्धारित एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाओं का प्रसार करें;
3. एपीडा/ईआईसी वेबसाइट पर एसपीएस-टीबीटी अधिसूचना अपलोड करने के लिए;
4. कानूनी फर्म वास्तविक सूचनाओं के अंग्रेजी अनुवाद की एक प्रति अग्रेषित करेगी। इस उद्देश्य के लिए, यदि आवश्यक हो, तो वे ईसी, यूएस, आदि के पूछताछ बिंदुओं से अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं;
5. उपरोक्त (2) में प्राप्त टिप्पणियों की जांच करें और प्रस्तावित उपाय के लिए एक व्यापक भारतीय प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए उनका मिलान करें और संबंधित विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश के साथ एपीडा/ईआईसी के लिए एक पत्र तैयार करें, जिसकी एक प्रति वाणिज्य विभाग में क्षेत्रीय प्रभाग के संबंधित संयुक्त सचिव को दी जाए।
6. संभावित व्यापार प्रतिबंधात्मक मुद्दों की सूची बनाएं जिन्हें ड्रॉफ्ट उपाय को अधिसूचित करने वाले सदस्य के साथ उठाया जाना चाहिए;
7. इनपुट प्रदान करें जिसमें एपीडा और ईआईसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर बाजार पहुंच के मुद्दों पर टैरिफ और गैर-टैरिफ दोनों विवरण शामिल हों;
8. प्रतिक्रिया का ड्रॉफ्ट तैयार करके अन्य देशों की अधिसूचनाओं का जवाब देने में एपीडा और ईआईसी की सहायता करना;
9. द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना;
10. देश के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान और नेगोशिऐट किए गए व्यापार समझौतों पर गहन विश्लेषण और सलाह प्रदान करें;

11. एसपीएस के लिए एपीडा एवं टीबीटी के लिए ईसीआई और वाणिज्य विभाग को एक त्रैमासिक और मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट/मूल्यांकन रिपोर्ट भेजें;
12. डब्ल्यूटीओ,एसपीए-टीबीटी से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक मामला जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है;
13. कानूनी फर्म का दिल्ली में स्थापित कार्यालय होना चाहिए।

परामर्श सेवा का कार्यकाल: 3 वर्ष (नवीकरणीय आधार पर)

पात्रता मानदंड:

1. विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यक्ति या फर्म के पास न्यूनतम तीन वर्षों के अनुभव हो। व्यक्तियों या फर्मों को सरकार, निर्यातकों, आयातकों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गृहों, आदि के लिए डब्ल्यूटीओ, एसपीएस-टीबीटी मामलों में परामर्श सेवाएं प्रदान करने का राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय अनुभव होना चाहिए; संघ/टाई-अप/संयुक्त उपक्रमों को अनुमति नहीं है;
2. फर्म का पिछले तीन वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21) में से प्रत्येक के दौरान कम से कम 1 करोड़ रुपए (केवल एक करोड़) का औसत वार्षिक टर्नवोर हो।
3. टीम लीडर और सीनियर एसोसिएट्स को सरकार, उद्योग और एसपीएस और टीबीटी मुद्दों में शामिल हितधारकों के साथ काम करने का कम से कम 5 साल का अनुभव हो (संबंधित दस्तावेज़ संलग्न करें)।
4. टीम के अन्य सदस्यों के पास कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव और कम से कम पांच लोगों की समर्पित टीम होनी चाहिए जो एसपीएस और टीबीटी मुद्दों पर काम करेंगे। टीम में कानूनी पृष्ठभूमि वाला कम से कम एक सदस्य होना चाहिए।
5. व्यक्ति या फर्म द्वारा टीम लीडर और टीम के सदस्यों का CV (बायोडाटा) जमा किया जाए जो इस काम में शामिल होंगे;
6. टीम में एसपीएस/टीबीटी अधिसूचनाओं के कारण होने वाली किसी भी द्विपक्षीय बैठक/व्यापार बैठक वार्ता में उठाए जाने वाले बैकग्राउंड नोट्स और बिंदुओं को तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए;
7. डब्ल्यूटीओ अधिसूचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद, जहां भी आवश्यक हो;

क्र.सं.	पात्रता मानदण्ड	क्या आवेदक मानदण्ड को पूरा करता है	स्कोर/स्कोर/मार्किंग पैटर्न	स्कोर/अंक
1	विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यक्ति या फर्म के पास न्यूनतम तीन वर्षों के अनुभव हो।		3-5 (वर्षों) 5-10 10 से अधिक	3 6 11
2	पिछले तीन वर्षों (2018-19, 2019-20, 2020-21) में से प्रत्येक		1-3 (रुपए) 3-5	3 6

	के दौरान कम से कम 1 करोड़ रुपए (केवल एक करोड़) का औसत वार्षिक टर्नवोर हो।		5 से अधिक	9
3	व्यक्तियों या फर्म के पास सरकारों, निर्यातकों, आयातकों, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड हाउस आदि के लिए डब्ल्यूटीओ, एसपीएस-टीबीटी में परामर्श सेवाएं प्रदान करने में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हो।		3-5 (वर्ष) 5-10 10 से अधिक	5 10 15
4	कम से कम पांच लोगों की टीम, उनके नाम, योग्यता और अनुभव जो एसपीएस और टीबीटी मुद्दों पर काम करेंगे।		5-7 (संख्या) 8-10 10 से अधिक	5 10 15
5	टीम लीडर और टीम के सदस्यों का CV जिन्हें इस कार्य में संलग्न किया जाएगा। CV में उन संगठनों के नामों का उल्लेख होना चाहिए जहां समान गतिविधि की गई है।		लागू नहीं	लागू नहीं
6	अनुभव और सहायक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है।		लागू नहीं	लागू नहीं
7	टीम के पास एसपीएस-टीबीटी अधिसूचनाओं के कारण होने वाली किसी भी द्विपक्षीय बैठक में उठाए जाने वाले पृष्ठभूमि नोट्स और बिंदुओं को तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए। पिछले 5 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों के सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता है।		लागू नहीं	लागू नहीं
8	जहां भी आवश्यक हो, अंग्रेजी में डब्ल्यूटीओ अधिसूचनाओं का अनुवाद प्रदान करने की क्षमता हो। व्यक्तियों या फर्मों के पास विदेशी भाषाओं में अनुवाद के लिए या अनुवाद के लिए अनुवाद करने वाली फर्म के साथ एक समझौता		लागू नहीं	लागू नहीं

	प्रस्तुत करने की योग्यता हो। सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता है।			
9	VC/भौतिक माध्यम से व्यक्ति (व्यक्तियों) या फर्म (फर्मों) द्वारा प्रस्तुतीकरण:		कार्य के दायरे के अंतर्गत विभिन्न मापदंडों के आकलन के लिए प्रस्तावित कार्य योजना, कार्यप्रणाली और उपकरण	20

फर्म को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 1 लाख रुपये (केवल एक लाख रुपये) की ईएमडी जमा करनी होगी। ईएमडी नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में तैयार की जाए। चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ईएमडी वापस कर दी जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक का हो।

उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाली एजेंसी दो अलग-अलग कवरों में निम्नानुसार बोली प्रस्तुत करेगी:

- **लिफाफा क-** तकनीकी बोली: दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली, कार्य योजना और टीम संरचना एवं विस्तृत CV के साथ पात्रता मानदंड का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेज रखें। इसमें निम्नलिखित शामिल हो:

  क) पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा टर्नओवर प्रमाण-पत्र (केवल शुल्क)।
  ख) संगठन के निगमन/पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
  ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ प्रदान की गई प्रासंगिक सेवाओं की सूची।
  घ) जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
  ङ) पैन कार्ड की कॉपी।

- **लिफाफा ख-** में वित्तीय बोली रखें।

  इन दो सीलबंद लिफाफों (क और ख) को एपीडा में भेजने के लिए एक बाहरी लिफाफे (कवर) के अंदर रखा जाए। इस बाहरी लिफाफे को वी.के. विद्यार्थी, महाप्रबंधक (डब्ल्यू.टी.ओ), एपीडा, एनसीयूआई बिल्डिंग 3, सिरी सांस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016, भारत, ई-मेल: vkvidyarthi@apeda.gov.in फोन: 91-11-41486016 पर भेजा जाए।

चयन प्रक्रिया:

सलाहकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मूल्यांकन विधि फर्म की साख और अनुभव पर टीम द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली की उपयुक्तता पर किया जाएगा। केवल उन्हीं सलाहकारों की वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी मूल्यांकन चरण में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करेंगे। सलाहकार को क्यूसीबीएस मानदंड के आधार पर कानूनी सलाहकार के रूप में चुना जाएगा। अंतिम स्कोर की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

वित्तीय स्कोर के लिए:

Sf = 100 x Fm / F, जिसमें **(Sf वित्तीय स्कोर है, Fm सबसे न्यूनतम कीमत है और F विचाराधीन प्रस्ताव की कीमत है)।**

अंतिम समग्र स्कोर के लिए:

तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को दिया गया महत्व इस प्रकार है:

तकनीकी भार = 0.70
वित्तीय भार = 0.30

ञ. भुगतान सारणी

सलाहकार को ऊपर दिए गए कार्य के लिए त्रैमासिक शुल्क (जीएसटी सहित) उद्धृत करने की आवश्यकता है।

वित्तीय और तकनीकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 24.09.2021 है।

अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया ई-मेल के माध्यम से संपर्क करें:

श्री वी.के. विद्यार्थी
महाप्रबंधक (डब्ल्यूटीओ)
एपीडा
एनसीयूआई बिल्डिंग 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016, भारत
ई-मेल : vkvidyarthi@apeda.gov.in
फोन: 91-11-41486016

आवेदन प्रारूप

क्र.सं.	विषय	विवरण
1.	व्यक्ति या फर्म का नाम	
2.	पता	
3.	भागीदारों का नाम और संपर्क विवरण	
4.	एपीडा और ईआईसी द्वारा आवश्यक गतिविधियों के लिए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली	
5.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ प्रदान की गई प्रासंगिक सेवाओं की सूची	
6.	पिछले 3 वित्तीय वर्षों 2018-19 से 2020-21 के दौरान लॉ फर्म का वित्तीय टर्नओवर	
7.	एसपीएस/टीबीटी मुद्दों के लिए विश्व व्यापार संगठन के कार्य को करने में एजेंसी का अनुभव	
8.	सरकारी विभाग/संगठनों से पुरस्कृत प्रशंसा पत्र	
9.	टीम के सदस्यों के CV के साथ टीम लीडर का अनुभव	
10.	ईएमडी विवरण	
11.	जीएसटी पंजीकरण, पैन कार्ड, फर्म निगमन/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां	

दिनांक:

(कंपनी मुहर के साथ
प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर)